अध्याय-4

सहकारी सोसाइटियों का प्रबन्ध

Chapter-IV

Management of Co-operative Societies

24. किसी सहकारी सोसाइटी में अन्तिम प्राधिकार— (1) इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सहकारी सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार सदस्यों के साधारण निकाय में निहित होगा :-

परन्तु इस धारा की कोई बात नियमों या उपविधियों द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को या किसी भी अधिकारी को प्रदत्त किन्हीं भी शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी सोसाइटी की सदस्यता के आकार, प्रसार या प्रकार को देखते हुए प्रभावी रूप से विनिश्चय करने के लिए प्रतिनिधियों का कोई प्रतिनिधि निकाय अपेक्षित हो वहां सोसाइटी के सदस्यों में से विहित रीति से निर्वाचित प्रतिनिधि साधारण निकाय के नाम से कोई छोटा निकाय सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित किया जा सकेगा। ऐसा छोटा निकाय साधारण निकाय की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

24. Final authority in a co-operative society.— (1) The final authority in a co-operative society shall, subject to the provisions of this Act and the rules, vest in the general body of the members:

Provided that nothing in this section shall effect any powers conferred on a committee or any officer of a co-operative society by the rules or the bye-laws.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the size, spread or type of membership of a society requires a representative body of delegates

to take decisions effectively, a smaller body called the Delegate General Body, elected from the members of the society in the prescribed manner, may be constituted in accordance with the bye-laws of the society. Such smaller body may exercise all the powers of the general body.

25. वार्षिक साधारण बैठक— (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वार्षिक साधारण बैठक उसके लिए विहित रीति से बुलायेगी—

(क) समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किये गये सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन;

(ख) विहित रीति से तैयार किये गये लेखाओं और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार;

(ग) विहित रीति से तैयार की गयी परीक्षा रिपोर्ट पर विचार और उसका अनुपालन;

(घ) शुद्ध लाभों का व्ययन; और

(ङ) ऐसे अन्य किसी मामले पर विचार जो उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये;

परन्तु यदि उपरोक्त समय के भीतर ऐसी बैठक न बुलाई जाए तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा *प्राधिकृत* कोई अन्य व्यक्ति विहित रीति से ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक

सोसाइटी द्वारा यथावत् बुलाई गई एक साधारण बैठक समझी जायगी :

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रार यह आदेश दे सकेगा कि पूर्वगामी परन्तुक के अधीन ऐसी बैठक बुलाने के कारण होने वाला व्यय सोसाइटी की निधि में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो रजिस्ट्रार की राय में साधारण बैठक बुलाने के लिए मना करने या बुलाने में विफल होने के लिए उत्तरदायी थे, भुगतान की जायेगी।

(2) यदि साधारण बैठक उसके लिए विहित कालावधि के भीतर-भीतर बुलाने में या उप-धारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो रजिस्ट्रार, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, समिति के सदस्यों को ऐसी समिति के सदस्य के रूप में बने रहने और किसी भी अन्य सोसाइटी की समिति के सदस्यों के रूप में निर्वाचित होने के लिए पांच वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित कर सकेगा; और यदि व्यतिक्रम सोसाइटी के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा किया जाता है तो रजिस्ट्रार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस पर 1000/- रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

25. Annual general meeting.— (1) Every co-operative society shall call in the manner prescribed therefor, an annual general meeting for the purpose of-

(a) approval of the programme of the activities of the society prepared by the committee for the ensuing year;

(b) consideration of the accounts and annual report prepared in the prescribed manner;

(c) consideration of the audit report prepared in the manner prescribed, and the compliance thereof;

(d) disposal of the net profits, and

(e) consideration of any other matter which may be brought forward in accordance with the bye-laws:

Provided that if no such meeting is called within the time aforesaid, the Registrar or any other person authorised by him may call such meeting in the manner prescribed and that meeting shall be deemed to be a general meeting duly called by the society:

Provided further that the Registrar may order that the expenditure incurred in calling such a meeting under the foregoing proviso shall be paid out of the funds of the society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the general meeting.

(2) If default is made in calling a general meeting within the period prescribed therefor or in complying with the requirements of sub-section (1), the Registrar may, after giving an opportunity of being heard, declare the members of the committee disqualified for continuing as members of such committee and for being elected as members of the committee of any other society, for a period of five years; and if the default is committed by an officer or an employee of the society, the Registrar may, after giving him an opportunity of being heard, impose on him a penalty of Rs. 1000.

26. विशेष साधारण बैठकें— (1) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति, सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक किसी भी समय बुला सकेगी और रजिस्ट्रार से या सदस्यों की कुल संख्या के पांचवें भाग से अन्यून इतने सदस्यों से, जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात्

ऐसी बैठक एक मास के भीतर-भीतर बुलायेगी।

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा के अनुसार नहीं बुलायी जाती है तो,-

(क) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को एक माह के भीतर-भीतर ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति होगी और वह बैठक समिति द्वारा बुलाई गई बैठक समझी जायेगी;

(ख) रजिस्ट्रार को यह आदेश करने की शक्ति होगी कि इस उप-धारा के अधीन बैठक बुलाने में उपगत व्यय सोसाइटी की निधियों में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा संदत्त किया जायेगा जो, रजिस्ट्रार की राय में, बैठक बुलाने से इंकार करने या उसमें विफल रहने के लिए उत्तरदायी हों।

26. Special general meetings.— (1) The committee of a co-operative society may, at any time, call a special general meeting of the society and shall call such meeting within one month after the receipt of a requisition in writing from the Registrar or from such number of members, not being less than one-fifth of the total number of members, as may be specified in the bye-laws.

(2) If a special general meeting of a co-operative society is not called in accordance with the requisition referred in sub-section (1),-

(a) the Registrar or any other person authorised by him in this behalf shall have the power to call such meeting within one month and that meeting shall be deemed to be a meeting called by the committee;

(b) the Registrar shall have power to order that the expenditure incurred in calling a meeting under this sub-section, shall be paid out of the funds of the society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the meeting.

27. समितियों की नियुक्ति— (1) किसी सहकारी सोसाइटी का साधारण निकाय सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध उपविधियों के अनुसार गठित समिति को सौंपेगा :-

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की दशा में, ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर हस्ताक्षर किये हैं, सोसाइटी के कार्यकलापों के संचालन के लिए रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास की कालावधि के लिए कोई समिति नियुक्त कर सकेंगे, किन्तु इस परन्तुक के अधीन नियुक्त समिति, ऐसी किसी नई समिति के गठन पर कार्य करना बन्द कर देगी जिसका गठन उपविधियों के अनुसार तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर-भीतर किया जायेगा।

(2) प्रत्येक सोसाइटी की समिति में ग्यारह निर्वाचित सदस्य होंगे जो सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होंगे।

(3) समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, एक मत देने का हक होगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति द्वारा पारित किसी संकल्प से कोई भी विसम्मति रखता हो, वह ऐसी विसम्मति की सूचना एक सप्ताह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रार को देगा :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य न तो किसी अधिकारी के निर्वाचन के लिए मतदान में भाग लेगा न उसका मताधिकार होगा।

(4) किसी ग्राम सेवा सोसाइटी, कृषक सेवा सोसाइटी, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, भूमि विकास बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक की समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं प्रत्येक में से कम से कम एक सदस्य होगा और यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से, पूर्वोक्त वर्गों के सदस्य किसी भी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते हैं या उनमें कोई रिक्ति हो जाती है तो पूर्वोक्त वर्गों के किसी सदस्य की कमी या रिक्ति, ऐसी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गों के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या, यथास्थिति, भरी जायेगी।

27. Appointment of committees.— (1) The general body of a co-operative society shall entrust the management of the affairs of the society to a committee constituted in accordance with the bye-laws :

Provided that in the case of a society registered after the commencement of this Act, the persons who have signed the application to register the society may appoint a committee to conduct the affairs of the society for the period of three months from the date of the registration, but the committee appointed under this proviso shall cease to function upon the constitution of a new committee which shall be constituted in

accordance with the bye-laws within the said period of three months.

(2) Every society shall have eleven elected members in its committee, who shall be elected by the general body of the society for a term of five year.

(3) Each member of the committee, including the members nominated by the State Government, if any, shall be entitled to cast one vote :

Provided that where the member nominated by the State Government has any dissent with the resolution passed by the committee, he shall inform the Registrar about such dissent within a week :

Provided further that a member nominated by the State Government shall neither participate in voting for the election of any officer nor shall have any franchise therefor.

(4) At least one member each in the committee of a village service society, a farmers service society, a dairy co-operative society, a Land Development Bank and a Central Co-operative Bank shall be from scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes and women and, if for any reason, whatsoever, the members of the aforesaid sections, to the extent as aforesaid, are not elected on the committee of any society or a vacancy occurs therein, the deficiency or the vacancy of a member belonging to the aforesaid sections in the committee of such society shall be made good or filled in, as the case may be, by the committee, by co-option, from amongst members belonging to the aforesaid sections.

28. समितियों की सदस्यता इत्यादि के लिए निरर्हता— (1) कोई व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक शीर्ष सोसाइटी या एक से अधिक केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष नहीं होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त किसी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन या नियक्ति की तारीख को पहले से किसी दूसरी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटी का अध्यक्ष है तो पूर्वोक्त निर्वाचन या नियुक्ति से चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर उसका पश्चात्वर्ती निर्वाचन या नियुक्ति शून्य समझी जायेगी जब तक कि वह पूर्वोक्त दोनों शीर्ष या, यथास्थिति, दोनों केन्द्रीय सोसाइटियों में से किसी एक के अध्यक्ष पद से, ऐसी कालावधि के भीतर-भीतर, त्यागपत्र न दे दे।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का सदस्य निर्वाचित या नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं होगा

यदि वह सोसाइटी या किसी भी अन्य सोसाइटी का उसके द्वारा लिये गये किसी भी उधार या उधारों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो संबंधित सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है या किसी भी स्थिति में तीन मास से अधिक की कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहा है :

परन्तु यह निरर्हता सदस्य सोसाइटी पर लागू नहीं होगी।

(4) राजस्थान साहूकार अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम सं. 1) में यथापरिभाषित कोई साहूकार, नियमों के अधीन यथावर्गीकृत किसी सेवा सहकारी सोसाइटी का अधिकारी निर्वाचित या नियुक्त होने के लिये पात्र नहीं होगा और जहां यथापूर्वोक्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी साहूकारी का कारबार प्रारंभ कर देता है तो वह तदुपरान्त ऐसी सोसाइटी का कोई अधिकारी नहीं रहेगा।

(5) किसी समिति का कोई भी सदस्य, जिसे धारा 30 के अधीन हटा दिया गया है, ऐसे हटाये जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 57 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश अपास्त नहीं किया गया हो, ऐसी तारीख से, जिसको वह धन या अन्य सम्पत्ति या उसके भाग का ब्याज सहित प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करता है या ऐसे आदेश की तुष्टि में अभिदाय और खर्चे या प्रतिकर का संदाय करता है, पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति तक किसी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन या नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति किसी समिति का अध्यक्ष और केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान, दोनों, नहीं रहेगा और यदि पहले ही केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान है तो वह उस तारीख से, जिसको कि वह ऐसी समिति का अध्यक्ष बनता है, चौदह दिन की कालावधि की समाप्ति पर ऐसी समिति का ऐसा अध्यक्ष नहीं रह जायेगा जब तक कि ऐसी समाप्ति के पूर्व वह केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् के सदस्य रूप में अपने स्थान से या, यथास्थिति, उस पद से, जो वह जिला परिषद् या पंचायत समिति में धारित करता है, त्यागपत्र नहीं दे देता :

परन्तु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी समिति का अध्यक्ष पहले से है, केन्द्र अथवा राज्य सरकार की मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित कर लिया जाता है तो केन्द्र अथवा राज्य मंत्री परिषद् का सदस्य या किसी जिला परिषद् का प्रमुख या, यथास्थिति, किसी पंचायत समिति का प्रधान नियुक्त अथवा निर्वाचित हो जाने की तारीख से चौदह दिन की समाप्ति पर ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं रहेगा जब तक कि वह केन्द्र अथवा राज्य

मंत्री परिषद् के अपने स्थान से या जिला परिषद् या, यथास्थिति, पंचायत समिति में के अपने पद से, पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है :

परन्तु यह और कि वह समिति का सदस्य या निदेशक बन सकेगा।

(8) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसके दो से अधिक बच्चे हैं :

परन्तु कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, इस उप-धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि तारीख 10.7.1995 को रही उसके बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण :- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, जहां 10.7.1995 को किसी दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही पश्चात्वर्ती प्रसव से जन्मे बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा।

(9) इस बारे में कोई भी प्रश्न कि आया समिति का कोई सदस्य इस धारा या नियमों के अधीन उल्लिखित किन्हीं भी निरर्हताओं के अध्यधीन हो गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा और समस्त अन्य समयों पर रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।

28. Disqualification of membership etc. of committees.— (1) No person shall, at the same time, be a chairperson of more than one apex societies, or more than one central societies.

(2) If a person, on the date of his election or appointment as a chairperson of an apex or a central society as aforesaid, is already a chairperson of another apex or central society, his later election or appointment shall be deemed to be void on the expiry of a period of fourteen days from the above election or appointment, unless he resigns from the chairpersonship of one of the above two apex or two central societies, as the case may be, within such period.

(3) No person shall be eligible for being elected or appointed as a member of a committee if he is in default to the society or to any other society, in respect of any loan or loans taken by him for such period as is specified in the bye-laws of the society concerned or in any case for a period exceeding three months :

Provided that this disqualification shall not apply on a member society.

(4) No money lender as defined in the Rajasthan Money Lenders Act, 1963 (Act No. 1 of 1964), shall be eligible for being elected or appointed as an officer of a service co-operative society, as classified under the rules, and where an officer of such society as aforesaid starts money lending business, he shall, thereupon, cease to be an officer of such society.

(5) No member of a committee, who has been removed under section 30, shall be eligible for election or appointment as a member of the committee for a period of five years from the date of such removal.

(6) No person against whom an order under section 57 has been passed, such order not having been set aside, shall be eligible for election or appointment as a member of a committee until the expiry of a period of five years from the date he repays or restores the money or other property or part thereof with interest or pay contribution and costs or compensation in satisfaction of such order.

(7) No person shall remain both a Chairperson of a committee and a member of the Union Council of Ministers or State Council of Ministers or the Pramukh of a Zila Parishad or the Pradhan of a Panchayat Samiti and, if already a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, he shall, at the expiration of a period of fourteen days from the date he becomes a Chairperson of such committee, cease to be such Chairperson of such committee unless, before such expiration, he resigns his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be :

Provided that a person who is already a Chairperson of a committee is appointed or elected as member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, then at the expiration of fourteen days from the date of being appointed or elected as a member of the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or Pramukh of a Zila Parishad or Pradhan of a Panchayat Samiti, as the case may be, he shall cease to be such Chairperson of the committee unless he has previously resigned

his seat in the Union Council of Ministers or the State Council of Ministers or the office he holds in the Zila Parishad or the Panchayat Samiti, as the case may be:-

Provided further that he may become member of the committee or director.

(8) No person shall be eligible for election as a member of the Committee if he has more than two children :

Provided that a person having more than two children shall not be disqualified under this sub-section for so long as the number of children he had on 10.7.1995 does not increase.

Explanation :— For the purpose of this sub-section, where the couple has only one child from the earlier delivery or deliveries on 10.7.1995 and thereafter, any number of children born out of a single subsequent delivery shall be deemed to be one entity.

(9) Any question as to whether a member of the committee has become subject to any of the disqualifications mentioned under this section or the rules shall be decided by the Election Officer during the process of elections and by the Registrar at all other times.

29. सरकार द्वारा नामनिर्देशन— (1) जहां सरकार ने—

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी में अभिदाय किया है; या

(ख) किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर-पूंजी के निर्माण में या वृद्धि में परोक्ष रूप से सहायता की है, जैसा कि अध्याय 7 में उपबंधित है; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों के ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है; या

(घ) मूलधन की रकम के प्रतिसंदाय और किसी सहकारी सोसाइटी को दिये गये उधारों और अग्रिमों पर ब्याज के संदाय की प्रत्याभूति दी है,

तो सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को सहकारी सोसाइटी की समिति में तीन से अनधिक सदस्य नामनिर्दिष्ट करने का अधिकार होगा :

परन्तु ऐसे नामनिर्देशिती केवल सरकारी सेवक होंगे।

(2) इस अधिनियम या किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार ने किसी सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी में पांच लाख रुपये या अधिक की सीमा तक अभिदाय किया है वहां सरकार या इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त दूसरा सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा और उसे ऐसी सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो समिति का पदेन सदस्य-सचिव होगा। सरकार या यथाविनिर्दिष्ट ऐसा प्राधिकारी ऐसी सोसाइटी में, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी अन्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भी कर सकेगा।

(3) सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) जहां सरकार इस धारा के अधीन कोई मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करती है वहां ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व पद धारण करने वाला मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी नियुक्ति होने पर पद पर नहीं रहेगा।

(5) इस धारा के अधीन नियुक्त किये गये मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी के सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो सरकार द्वारा अवधारित की जायें और उन्हें संदेय पारिश्रमिक, सहकारी सोसाइटी की निधियों में से संदत्त किया जायेगा।

29. Nomination by the Government.— (1) Where the Government has—

(a) subscribed to the share capital of a co-operative society; or

(b) assisted indirectly in the formation or augmentation of the share capital of a co-operative society as provided in Chapter VII; or

(c) guaranteed the repayment of the principal and payment of interest of debentures issued by a co-operative society; or

(d) guaranteed the repayment of principal amount and payment of interest on loans and advances to a co-operative society,

the Government or any authority specified by the Government in this behalf shall have the right to nominate not more than three members on the committee of a co-operative society :

Provided that such nominees shall only be Government servants.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or the bye-laws of a society, where the Government has subscribed to the share capital of a co-operative society to the extent of five lacs of rupees or more, the Government or any other authority specified in this behalf may nominate another member in addition to those nominated under sub-section (1) and appoint him as Chief Executive Officer of such society, who shall be the ex-officio Member-Secretary of the committee. The Government or such authority as specified may also appoint any other Executive Officer to assist the Chief Executive Officer in such society.

(3) Every person nominated or appointed by the Government shall hold office during the pleasure of the Government or the authority specified by the Government in this behalf.

(4) Where the Government appoints a Chief Executive Officer under this section, the Chief Executive Officer holding office immediately before such appointment shall cease to hold office on such appointment.

(5) The terms and conditions of service of the Chief Executive Officer and the Executive Officer appointed under this section shall be such as may be determined by the Government and the remuneration payable to them shall be paid out of the funds of the co-operative society.

30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना— (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति या ऐसी समिति का कोई सदस्य इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों द्वारा उस समिति या उस सदस्य पर अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में, बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षा करता है या ऐसा कोई कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या सहकारी उत्पादन और सरकार द्वारा अनुमोदित या जिम्मे लिये गये अन्य विकास कार्यक्रमों के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये निदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करता है या अन्यथा अपने कृत्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है तो रजिस्ट्रार ऐसी समिति या, यथास्थिति, ऐसी समिति के सदस्य को हटाये जाने का प्रस्ताव कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी समिति या उसके किसी सदस्य को हटाने के प्रस्ताव पर प्राथमिक सोसाइटी की दशा में, आंचलिक रजिस्ट्रार, केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान तथा शीर्ष सोसाइटी की दशा में, राज्य सरकार समिति या, यथास्थिति, सदस्य को

अपनी आपत्तियों, यदि कोई हों, का कथन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा,-

(क) समिति को हटा सकेगी और सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए किसी सरकारी सेवक को प्रशासक नियुक्त कर सकेगी; या

(ख) ऐसी समिति के सदस्य को हटा सकेगी और पदावरोही सदस्य की शेष पदावधि के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति उपविधियों के अनुसार कर सकेगी।

(3) इस प्रकार नियुक्त प्रशासक को रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त या कोई भी कृत्य करने और ऐसी समस्त कार्रवाइयाँ करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।

(4) उप-धारा (1) के अधीन ज्योंही किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सोसाइटी में निर्वाचनों का संचालन करने के लिए राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अध्यपेक्षा भेजे।

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात धारा 62 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

30. Removal of Committee or member thereof.— (1) If, in the opinion of the Registrar, the committee of a co-operative society or any member of such committee persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its members, or willfully disobeys directions issued by the Registrar for the purpose of securing proper implementation of co-operative production and other development programmes approved or undertaken by the Government, or is otherwise not discharging its or his functions properly, the Registrar may propose removal of such committee or the member of such committee, as the case may be.

(2) On the proposal to remove a committee or a member thereof under sub-section (1), the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan in case of a central society and the State Government in case of an apex society, may, after giving the committee or the member, as the case

may be, a reasonable opportunity to state its or his objections, if any, by order in writing,-

(a) remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months; or

(b) remove the member of such committee and get the vacancy filled up for the remainder of the term of the outgoing member, according to the bye-laws.

(3) The Administrator so appointed shall, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.

(4) It shall be the duty of the Chief Executive Officer of the society to send a requisition to the State Co-operative Election Authority, to conduct elections in the society, as soon as an Administrator is appointed under sub-section (1).

(5) Nothing contained in this section shall affect the provisions of section 62.

31. अभिलेखों इत्यादि का कब्जा प्राप्त करना— (1) जहां किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का सोसाइटी की साधारण बैठक में पुनर्गठन किया जाता है या धारा 30 के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटा दिया जाता है या सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नियमों के अधीन परिवर्तित हो जाता है तो समिति का प्रत्येक पदावरोही सदस्य, यदि उसके पास सोसाइटी के किन्हीं अभिलेखों या सम्पत्ति का प्रभार है, अथवा सोसाइटी का पदावरोही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सोसाइटी के समस्त अभिलेखों और सम्पत्ति का समग्र न्यासी होगा, को सौंपेंगे :

परन्तु जहां धारा 61 के अधीन सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है, सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार धारा 63 के अधीन नियुक्त समापक को सौंपा जायेगा।

(2) यदि ऐसा कोई भी पदावरोही अधिकारी या सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या, यथास्थिति, समापक को अभिलेख और सम्पत्ति का प्रभार सौंपे जाने से इंकार करता है; या जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों को दबा दिये जाने, बिगाड़

दिये जाने या नष्ट कर दिये जाने की संभावना है या किसी सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरुपयोग किये जाने की संभावना है तो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक या रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति सोसाइटी के अभिलेख और सम्पत्ति की तलाशी, अभिग्रहण और कब्जे में लेने के लिए ऐसे प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा, जिसकी अधिकारिता में उक्त सोसाइटी कार्य कर रही है।

(3) उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारन्ट द्वारा, किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में, जिसमें अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक को या रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

31. Securing possession of records etc.— (1) Where the committee of a co-operative society is reconstituted at a general meeting of the society or the committee of a co-operative society is removed by the State Government or the Registrar under section 30 or, if the Chief Executive Officer of the society is changed under the rules, every outgoing member of the committee, if he is in charge of the records or property of the society, or the outgoing Chief Executive Officer of the society shall hand over the charge of all the records and property of the society to the Chief Executive Officer, who shall be the overall trustee of all the records and property of the society:

Provided that where the society is ordered to be wound up under section 61, the charge of the record and property of the society shall be handed over to the Liquidator, appointed under section 63.

(2) If any such outgoing officer or member, refuses to hand over the charge of the record and property to the Chief Executive Officer or the Liquidator, as the case may be or, where the Registrar is satisfied that the books and records of a society are likely to be suppressed, tampered with, or destroyed, or the funds and property of a society are likely to be misappropriated or misapplied, the Chief Executive Officer of the society or the Administrator or the Liquidator, or the Registrar or a person authorised by the Registrar may apply to the Judicial Magistrate of the First Class,

within whose jurisdication the society is functioning, for searching, seizing and taking possession of the records and property of the society.

(3) On receipt of an application under sub-section (1), the Magistrate may, by a warrant, authorise any police officer, not below the rank of a Sub-Inspector, to enter the likely places, where the records and the property are kept or are believed to be kept, and to search and to seize such records and property; and the records and property so seized shall be handed over to the Chief Executive Officer or the Administrator of the society or the Liquidator or the Registrar, or the person authorised by the Registrar, as the case may be.

❑ ❑